सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 616 राँची, बुधवार, 8 भाद्र, 1938 (श०)

30 अगस्त, 2017 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

27 दिसम्बर, 2016

संख्या- 06/उप.फो. (निबंधक) 08/2015 खा.आ. – 5302-- W.P.(PIL) No. 5458 of 2014 with I.A. No. 197 of 2015 श्री सुनील उराँव बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27 जनवरी, 2015 को पारित न्यायादेश में राज्य आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरमों में निबंधक को नियुक्त करने का आदेश पारित है ।

2. उक्त के संदर्भ में निम्नलिखित सेवानिवृत्त व्यक्तियों को उनके नाम के सामने अंकित कार्यालय में निबंधक के पद पर एक वर्ष या अगले आदेश तक (जो भी पूर्व हो) संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाता है:-

क्रमांक	कार्यालय का नाम	पदनाम	चयनित
1	जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, बोकारो।	जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम निबंधक	श्री राम करण रंजन, द्वारा- जय प्रकाश प्रसाद, मोहल्ला-भवानीपुर साईड, 'जय प्रकाश भवन'' पो॰-चास, वार्ड-35, चन्दन क्यारी रोड, चास बोकारो-827013
2	जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम, देवघर।	जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम निबंधक	श्री अखिलेश्वर सिंह, क्वाटर नं॰-एल॰एस॰-85, पावर सबस्टेशन के नजदीक, हरमू हाउसिंग कालोनी, हरमू, राँची-834002

3.(क) जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में नियुक्त निबंधक एक वर्ष के कार्यकाल या 65 वर्ष के उम्र या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले (न्यूनतम) हो, तक अपने पद को धारित करेंगे । अपने कार्यकाल से पूर्व भी ये अपने पद से सरकार द्वारा पदच्युत हो सकते है ।

(ख) यदि उपरोक्त के दौरान निबंधक के पद पर नियमित नियुक्ति हो जाती है तो नियुक्ति की तिथि से ही संविदा पर नियुक्त निबंधक की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

(ग) संविदा के आधार पर नियुक्त उक्त निबंधकों को वित्त विभागीय संकल्प संख्या 4569/वि॰, दिनांक 5 जुलाई, 2002 एवं 1243/वि॰, दिनांक 28 अप्रैल, 2016 में निहित शर्तों के अनुरूप मानदेय प्रदान किया जायेगा ।

4. किसी प्रकार की गलत सूचना देने या छिपाने पर विभाग द्वारा ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के बाद भी उन्हें पद से हटा दिया जायेगा ।

5. नियुक्त व्यक्ति को अधिसूचना निर्गत की तिथि से 4 सप्ताह के अन्दर अपने निर्दिष्ट पद पर योगदान करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी । अपरिहार्य कारणवश योगदान की तिथि का विस्तार करने की शक्ति राज्य सरकार के पास सुरक्षित रहेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 616--200